निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 890) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

17 जून 2015

सं० 22 / नि0सि0(भाग0)–09–31 / 2010 / 1369––श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, आई0 डी0 क्रमांक–2539 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पदस्थापन अवधि, जुलाई, 2008 से अप्रैल, 2011 के दौरान श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र–'क' उपलब्ध कराने में तीन वर्ष से अधिक समय का विलम्ब करने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने आदि आरोपों के लिए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1214 दिनांक 26.09.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान ही श्री महतो, तत्कालीन मुख्य अभियंता के दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप श्री महतो के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश संख्या 140 सह पठित ज्ञापांक–1218 दिनांक 01.10.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 33 को0 दिनांक 29.03.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्नांकित बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक–1145 दिनांक 22.08.2014 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, सेवानिवृत मुख्य अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः–

(i) इनका मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पद पर पदस्थापन की अवधि जुलाई, 2008 से अप्रैल, 2011 तक रही है एवं इनके द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में अंकित आरोप वर्ष के अनुसार जून, 2010 तक भी वांछित आरोप पत्र संगत साक्ष्यों के साथ उपलब्ध करा दिया होता तो श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के दिनांक 31.12.2007 को सेवानिवृत हो जाने के उपरान्त भी जून, 2010 तक उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जा सकता था एवं मामला कालबाधित नहीं होता। अतएव ये तीन वर्षों से अधिक समय के लिए श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल

संख्या–2, जमुई के विरूद्ध वांछित आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर संगत साक्ष्यों के साथ विभाग को नहीं उपलब्ध कराने के लिए दोषी हैं जिसके कारण श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के दिनांक 31.12.2007 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप मामला कालबाधित हो जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत कार्रवाई नहीं किया जा सका।

(ii) इनके मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पदस्थापन अवधि जुलाई, 2008 से अप्रैल, 2011 के दौरान इनको श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध विहितप्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र–'क' संगत साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–8330 दिनांक 26.12.2008, पत्रांक–2110 दिनांक 24.06.2009, पत्रांक–3841 दिनांक 30.09.2009, पत्रांक–642 दिनांक 16.02.2010, पत्रांक–2673 दिनांक 18.05.2010 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–4465 दिनांक 12.08.2010 द्वारा स्मार दिया गया।

मुख्य अभियंता के स्तर के पदाधिकारी से विभागीय निदेश की ऐसी अवहेलना एवं लापरवाही शोभनीय नहीं है। यदि तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर का पत्रांक–शून्य दिनांक 27.05.2006 मुख्य अभियंता के कार्यालय से निर्गत नहीं था फिर भी ढ़ाई वर्षों से अधिक की अवधि (जुलाई, 2008 से नवम्बर, 2010) में श्री महतो द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर की हैसियत से अनेक बार विभागीय मीटिंग आदि में भाग लिया गया होगा एवं तत्परतापूर्वक इनके द्वारा मामले की छान–बीन किये जाने पर ससमय श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' उपलब्ध कराया जा सकता था।

अतएव इनके इस कथन को मान्यता नहीं दी जा सकती है कि श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' संगत साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराने में विलम्ब का मूल कारण तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर का पत्रांक– शून्य दिनांक 27.05.2006 मुख्य अभियंता के कार्यालय से निर्गत होना नहीं बताया गया है।

4. उपर्युक्त के आलोक में श्री महतो, सेवानिवृत मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 25.10.2014 को हस्ताक्षरित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर विभाग में समर्पित किया गया जिसमें इनके द्वारा निम्नांकित तथ्यों को प्रस्तुत किया गयाः–

(i) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के द्वारा दिनांक 27.05.2006 को हस्ताक्षरित पत्र पत्रांक–शून्य दिनांक 27.05.2006 जो विभाग अपने पास रखे हुए था तथा जिसपर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर प्रेषित करने के लिए कहा जा रहा था, वह पत्र विभागीय पत्रांक–5163 दिनांक 15.09.2010 द्वारा मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को दिनांक 21.09.2010 को उपलब्ध कराया गया जिसपर श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र, साक्ष्य सहित पत्रांक–3308 दिनांक 09.11.2010 द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया। अतएव आरोप वर्ष के अनुसार जून, 2010 तक आरोप पत्र साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है एवं आरोप से वंचित करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) इनके पदस्थापन काल में जिस पत्र पर श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित करने हेतु स्मार दिया जा रहा था, वह पत्र विभाग स्वयं रखे हुए था।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर का पत्रांक– शून्य दिनांक 27.05.2006 की कार्यालय प्रति उक्त कार्यालय में उपलब्ध रहना चाहिए था परन्तु इसकी खोज–बीन करने पर नहीं मिलने के फलस्वरूप इस संबंध में संयुक्त सचिव (प्रबंधन), उप–सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक से दूरभाष पर निदेश लेते रहा। उनलोगों के कथनानुसार मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय में पत्रांक– शून्य दिनांक 27.05.2006 की खोज कराने पर भी नहीं मिला क्योंकि उक्त पत्र मुख्य अभियंता के कार्यालय से निर्गत नहीं था।

अचानक दिनांक 16.08.2010 को प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर दी गयी सूचना के आलोक में इनके पत्रांक 2641 दिनांक 17.08.2010 द्वारा मुख्य अभियंता, भागलपुर का पत्रांक– शून्य दिनांक 27.05.2006 उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जो विभागीय पत्रांक 5163 दिनांक 15.09.2010 द्वारा मुख्य अभियंता, भागलपुर को दिनांक 21.09.2010 को प्राप्त हुआ एवं अति संवेदनशील बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों की व्यवस्था के बावजूद भी इनके द्वारा पत्रांक 3308 दिनांक 09.11.2010 द्वारा श्री विजय कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र साक्ष्य सहित उपलब्ध करा दिया गया।

इसके अतिरिक्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में भी ''श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है'' उल्लिखित है अतएव उनके उपर लगाये गये आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

5. श्री महतो द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री महतो द्वारा ससमय विभागीय स्मार पत्रों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र, प्रपत्र–'क' गठित कर उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं। यदि विभागीय स्मार पत्रों को संज्ञान में लेते हुए इनके द्वारा ससमय श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2,

जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र, प्रपत्र–'क' उपलब्ध करा दिया गया होता तो श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत कार्यवाही का मामला कालबाधित नहीं होता। अतएव श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल संख्या–2, जमुई के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं हो पाने के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत दोषी हैं।

6. फलतः उक्त प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए सरकार के स्तर पर श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध ''पॉच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष के लिए रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

तदनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत को ''पॉच प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष के लिए रोक'' का दण्ड देते हुए संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 890-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in